CHETANA
International Journal of Education
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2022 = 6.261

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

Research Paper

Received on 27.08.2022
Reviewed on 29.08.2022
Accepted on 30.08.2022

पंचायती राज व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग (बीकानेर जिले के विशेष संदर्भ में)

*अविनाश चन्द्र शर्मा

मुख्य शब्द–*त्रिस्तरीय पंचायती राज, ई.शासन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सशक्तिकरण, लोक कल्याणार्थ, एकीकृत आदि।*

सार-संक्षेप

प्रस्तुत शोधालेख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का संरचनात्मक तंत्र यथा–संगठन, सरंचना, संवैधानिक प्रावधान, कार्य एवं शक्तियाँ, कार्मिक प्रशासन तथा पंचायती राज से अन्तरसम्बंधित सुशासन (विशेषतः ई.शासन) की अवधारणा, विशेषताएँ, योजनाएँ एवं नीति, ई.शासन का पंचायती राज एवं लोक प्रशाासन पर प्रभाव, ई.शासन के माध्यम से पंचायती राज का सशक्तिकरण एवं बीकानेर जिले में पंचायती राज तथा ई.शासन की क्रियान्विति का स्तर इत्यादि बिन्दुओं से सम्बधित साहित्य की समीक्षा की गई है।

वर्तमान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के इस दौर में जो नवीन प्रवृत्तियां मुखरित हुई हैं, उनमें से एक है–ई.शासन। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी नाना प्रकार की तकनीकों यथा–इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर एवं दूरसंचार इत्यादि का समेकित नाम है जो सूचनाओं के संचरण, प्राप्ति, संग्रहण एवं विश्लेषणयुक्त विविध राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी इत्यादि आयामों से सम्बद्ध है।

अन्य शब्दों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासकीय एवं प्रशासकीय कृत्यों का सुचारू संचालन ही ई.शासन (ई.गवर्नेंस) है। राष्ट्र के समग्र विकास, उत्थान एवं लोक कल्याणार्थ सूचना प्रौद्योगिकी की महता स्वयं सिद्ध है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकृत प्रयोग करना ई.शासन का परिचायक है।

प्रस्तुत शोध राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले की पंचायती राज संस्थाओं में ई.शासन किस हद तक सफल रहा है तथा इसके सुचारू क्रियान्वयन हेतु क्या ठोस कदम एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बीकानेर जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसरण में जिला परिषद (01), पंचायत समिति (07) तथा 290 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत 1498 ग्राम सम्मिलित किए। शोधार्थी का यह विनम्र प्रयास रहा है कि विशेषतः बीकानेर की ग्राम पंचायतों में ई.शासन की क्या महत्ता रही है तथा भविष्य में क्या संभावनाएँ चिन्हित होंगी ?

प्रस्तावना

"आजादी निम्न स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम में पंचायत का राज होगा। उसके पास सम्पूर्ण सत्ता एवं ताकत होगी। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक गाँव को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा क्योंकि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।" पूज्य बापू महात्मा गाँधी का उपर्युक्त कथन भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करता है। स्थानीय स्वशासन से आशय शासन के उस तृतीय स्तर (स्थानीय सरकार) से है जो नगरीय या ग्रामीण स्थानीय जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है।

प्रस्तावित शोध अध्ययन स्थानीय स्वशासन के द्वितीय स्वरूप ग्रामीण स्थानीय संस्थाएँ अर्थात् पंचायती राज से सम्बन्धित है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की पर्याय पंचायती राज एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो जिला स्तर पर–जिला परिषद्, खण्ड स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत या पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की सामूहिक अवधारणा है। भारत के संविधान में पंचायती राज से सम्बन्धित एक विशेष प्रावधान नीति निदेशक तत्त्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद–40 में ग्राम पंचायतों के गठन के क्रम में तथा संविधान की सप्तम् अनुसूची (अनुच्छेद–246) के अन्तर्गत राज्य सूची की पाँचवी प्रविष्टि के रूप में स्थानीय स्वशासन को प्रमुखता दी गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) का संचालन तत्पश्चात् बलवंत राय मेहता समिति (1957) द्वारा अनुशंसित पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढाँचा अपनाने पर बल प्रदान करते हुए राजस्थान में पूर्ववर्ती राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम (1953) तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम (1959) पारित किया गया। यद्यपि देशी रियासत बीकानेर ने सन् 1928 में ही पंचायती राज कानून निर्मित कर लिया था। वर्तमान में प्रवर्तित त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान कर दिया गया तथा इसकी अनुपालना में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रवर्तित हुआ।

चूँकि यह शोध प्रमुखतः दो महत्त्वपूर्ण पहलूओं पंचायती राज एवं ई.शासन (राज. में बीकानेर जिले के विशेष संदर्भ में) एक प्रशासनिक अध्ययन पर केन्द्रित है, अतः पंचायती राज के के साथ–साथ ई.शासन की अवधारणा सहित बीकानेर जिले के संदर्भ में भी कतिपय जानकारी प्रदान करना अपरिहार्य है। वर्तमान सदी में सम्पूर्ण विश्व में "कतिपय आधारभूत परिवर्तन शासन (गवर्नेंस) के संदर्भ में आए हैं तथा इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है।

भारतीय संदर्भ में सुशासन (गुड गवर्नेंस) अर्थात् राम राज्य की अवधारणा की क्रियान्विति का ही एक प्रमुख तत्त्व है–ई. शासन (ई.गवर्नेंस)। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की वैश्विक क्रांति के साथ जो नवाचार उभरे हैं, उन्हीं में से प्रमुख है–ई. शासन अर्थात इलैक्ट्रॉनिक शासन या ई.गवर्नेंस। कम्प्यूटर, टेलीफोन, सैटेलाईट तथा दूरसंचार के विभिन्न माध्यमों से प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकृत प्रयोग करना ई.शासन (गवर्नेंस) का द्योतक है। वस्तुतः ई.शासन एक समष्टि अवधारणा है जो न केवल सरकारी तंत्र से ही सम्बन्धित है वरन् इसमें विविध आयाम–राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक इत्यादि भी समाहित हैं। यह GtoG (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट), Gto C(गवर्नमेंट टू सिटीजन), G to B(गवर्नमेंट टू बिजनैस) तथा G to E (गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज) की प्रकृति की सेवाएँ प्रदान करता है।

अध्ययन की आवष्यकता

प्रस्तावित शोध अध्ययन से राज. विशेषतः बीकानेर जिले की पंचायती राज प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी (ई.शासन) का अनुप्रयोग एक महत्त्वपूर्ण तथा सार्थक कदम सिद्ध होगा ताकि प्रशासनिक कृत्य सफलतापूर्वक निष्पादित हो सके।ई.गवर्नेंस की महत्ता (आवश्यकता) इस रूप में सिद्ध हो सकेगी कि पंचायती राज संस्थाएँ त्वरित निर्णय ले सके तथा आमजन के कार्यों का शीघ्रतापूर्वक निपटान हो।पंचायती राज में पारदर्शिता, जवाबदेयता तथा सामाजिक अंकेक्षण की अनुपालना निष्ठापूर्वक संपादित होगी।ग्रामीणों को कुशल एवं बेहतर सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकेगी। जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों में क्षमता निर्माण विकसित किया जा सकेगा।ई.प्रोक्युरमेंट (खरीद, निविदा) की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकेगा।चूँकि उपर्युक्त शोध प्रस्ताव (पंचायती राज एवं ई.शासन) के क्रम में बीकानेर जिले में अभी तक कोई शोध अध्ययन नहीं किया गया है। अतः उक्त शोध का नवीनतम

सर्वेक्षण निकट भविष्य में शोधार्थियों, विद्यार्थियों, कार्मिकगण तथा आमजन हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।चूँकि राज. की देशी रियासतों में सर्वप्रथम बीकानेर जिले में पंचायती राज अधिनियम (1928) में लागू किया गया था अतः शोधार्थी द्वारा उक्त शोध का चयन स्वयंसिद्ध है।वैश्विक सूचना क्रांति के इस दौर में ग्रासरूट लेवल लोकतंत्र अर्थात पंचायती राज में ई.शासन की उपादेयता त्वरित निर्णयन हेतु अपरिहार्य होगी।चूँकि यह शोध अध्ययन एक अनछुआ पक्ष रहा है। अतः यह शोधार्थी हेतु एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

शोध प्रश्न

''पंचायती राज व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग (बीकानेर जिले के विशेष संदर्भ में) की क्या प्रासंगिकता है? क्या पंचायती राज व्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से विशेष उपलब्धियां हासिल की जा सकती है? ई.शासन की प्रगति में रूकावट पैदा करने वाले ऐसे कौनसे कारण हैं तथा उनका समाधान कैसे किया जा सकता है ?

आज तक पूर्व में निम्नलिखित शोध हुए हैं–

1. सन् 2011 में प्रकाशित तथा रणबीर सिंह, सूरत सिंह सम्पादकद्वय द्वारा सम्पादित पुस्तक लोकल डेमोक्रेसी एण्ड गुड गवर्नेंस में विभिन्न आलेखकों ने 1959 से वर्तमान तक पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, पंचायती राज में सुशासन की अवधारणा पर चिंतन किया है। आसन्नतः सभी आलेखकों का मत है कि पंचायती राज संस्थाओं में ई.शासन पर बल दिया जाए।
2. एशियाई आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के समन्वयक रहे एम.जी. रमाकांत राव द्वारा लिखित पुस्तक गुड गवर्नेंसः मॉडर्न ग्लोबल एण्ड रीजनल पर्सपेक्टिव में सहभागी लोकतंत्र, ई.शासन, ई.लोकतंत्र, आर्थिक दक्षता तथा गुड गवर्नेंस पर हुए दिल्ली घोषणा पर आलोक डाला गया है।
3. वर्ष 2007 में अपनी प्रथम प्रकाशित पुस्तक ई.गवर्नेंस के लेखक सेंटर फॉर रिसर्च एण्ड पब्लिकेशंस के प्रमुख रहे वी.एम.राव द्वारा ई.शासन (गवर्नेंस) पर विस्तार से विवेचना की गई है। यह पुस्तक सरकारी सेवाओं का वितरण ई.शासन के माध्यम से कराने की पक्षधर रही है। यद्यपि यह पुस्तक समस्त सरकारी सेवाओं के संदर्भ में हैं किन्तु यह पंचायती राज संस्थाओं में भी ई.शासन की महत्ता को इंगित करती है।
4. प्रोफेसर (डॉ.) सुरेन्द्र कटारिया द्वारा विरचित ख्यातनाम पुस्तक पंचायती राज संस्थाएँः अतीत, वर्तमान और भविष्य में लेखक ने पंचायती राज का ऐतिहासिक अनुक्रम, सामयिक परिदृश्य तथा भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं की नवीन भूमिका, पंचायती राज मंत्रियों का चतुर्थ गोलमेज सम्मेलन (ई.शासन हेतु) की मीमांसा की है। साथ ही पंचायती राज के क्रम में लेखक द्वारा परिकल्पित स्वयं का प्रतिमान एस.के. मॉडल को भी प्रतिस्थापित करते हुए कहा गया है कि निकट भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी अवयव सशक्त होंगे।
5. जर्नल ऑफ पीपुल्स स्टडीज में अगस्त 2015 में प्रकाशित शोधार्थी नितिन काम्बले का शोध पत्र गवर्नेंस डिवेलपमेंट एण्ड पंचायती राज सम थ्योरीटिकल इम्प्लीकेशंस में यह बात कही गई है कि जब तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में जाति एक प्रमुख तत्त्व के रूप में रहेगी, तब तक विकास संभव नहीं हो सकेगा।

शोधकर्ता को उपर्युक्त शोध अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि बीकानेर जिले की पंचायती राज प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी (ई.शासन) क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं तथा उनकी समस्याओं को समझने हेतु आज तक कोई शोध कार्य नहीं हुए है। अतः शोधकर्ता ने उपर्युक्त शोध प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए यह शोध कार्य किया जो अपने आप में नवीनता लिए हुए है।

अध्ययन का उद्देश्य

राजस्थान में बीकानेर जिले की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ई.शासन (गवर्नेंस) की क्रियान्विति का अध्ययन करना।राजस्थान में विशेषतः बीकानेर जिले की पंचायती राज संरचना एवं कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालना।सुशासन (गुड गवर्नेंस) की प्राप्ति हेतु ई.शासन के माध्यम से पंचायती राज विशेषतः ग्राम पंचायतों में जनचेतना को पहचानना।पंचायती राज में कार्यरत कार्मिकगण एवं ग्रामीणजन द्वारा अपनाए जा रहे ई.शासन की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं नवाचारों को विश्लेषित करना।ग्राम पंचायतों की शैक्षिक, सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं ई.गवर्नेंस के मध्य सहसम्बन्धों का तुलनात्मक अध्ययन करना।पंचायती राज में ई. शासन के अनुप्रयोग की क्रियान्विति के मार्ग में आ रहे बाधक तत्त्वों का चिन्हीकरण करना।पंचायती राज एवं ई.शासन के सुचारू क्रियान्वयन सहित ग्रामीणजन के कल्याणार्थ सुझाव आमंत्रित करना।बीकानेर जिले की पंचायती राज प्रणाली एवं ई.शासन के उन्नयन हेतु एक उन्नायक की भूमिका में शोध को प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

प्रस्तावित शोध कार्य के संदर्भ में शोधार्थी की जो प्राक्कल्पना/परिकल्पना मनोमस्तिष्क में रही है, वह प्रमुखतः शोधार्थी के अनुभव तथा सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है–

1. जितना उच्च शैक्षिक स्तर उतना ही पंचायती राज में ई.शासन के अनुप्रयोग में अभिवृद्धि होती है।
2. पंचायती राज व्यवस्था में जितनी उत्तम प्रकार की आधारभूत संरचना होती है, उतना ही बेहतर कार्य निष्पादन संभव होता है।
3. पंचायती राज योजनाओं/कार्यक्रमों का ई. प्रचार–प्रसार एवं पहुँच जितनी अधिक ग्रामीणजन तक होगी उतनी ही योजना/कार्यक्रम को सफलता मिलेगी।
4. पंचायती राज व्यवस्था की सफल क्रियान्विति तभी संभव है जबकि ई.शासन को अपनाया जाए।
5. पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जबकि ई.शासन का व्यावहारिक अनुप्रयोग ग्रामीणजन द्वारा किया जाए।
6. आमजन के जीवन का सरलीकरण तभी संभव होगा जब पंचायती राज संस्थाओं में ई.शासन को अपनाया जाए।

शोध विधि

सर्वेक्षण विधि –विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। क्योंकि यह विधि इस प्रकार के शोध कार्यो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

न्यादर्श

न्यादर्श किसी भी अनुसंधान की आधारशिला होता है। यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी, अनुसंधान के परिणाम उतने ही विश्वसनीय एवं परिशुद्ध होंगे तभी न्यादर्श को उपयुक्त माना जाता है। शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान में न्यादर्श हेतु यादृच्छिक विधि को अपनाया है तथा बीकानेर जिले की सभी पंचायत समितियों के लोगों एवं कार्मिकों को लेने की योजना बनायी।

न्यादर्श चयन विधि

शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के लिए बीकानेर जिले की सभी पंचायत समितियों से न्यादर्श का चयन की योजना बनायी।

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन

शोधकर्ता के शोध विषय को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर जिले की सभी 07 पंचायत समितियों से प्रतिदर्शन लिया। इस हेतु न्यादर्श आकार इस प्रकार प्रस्तावित है–

1. पंचायती राज कार्मिकों (उत्तरदाताओं) की संख्या60

2.ग्राम पंचायत के व्यक्तियों (उत्तरदाताओं) की संख्या 210

प्रयुक्त उपकरणों के नाम एवं विवरण – (स्व निर्मित)

1. आमजन/ग्रामीणजन की प्रतिØियाओं हेतु अनुसूची

2. पंचायती राज कार्मिकों की प्रतिक्रियाओं हेतु साक्षात्कार

3. पंचायती राज एवं ई.शासन (बीकानेर जिले के विशेष संदर्भ में एक प्रशासनिक अध्ययन) के सम्बन्ध में कार्मिकों के सुझाव

प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु संकलित आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण व विवेचन में प्रतिशत सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। प्रतिशत सूत्र के आधार पर उपर्युक्त उपकरणों के प्रश्नों के प्रत्युत्तरों का प्रतिशत निकाल कर सर्वाधिक प्रतिशत वाले प्रत्युत्तरों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा । प्रतिशत सूत्र का प्रयोग करते हुए प्रत्युत्तरों का विश्लेषण किया।

पंचायती राज एवं ई.शासन (बीकानेर जिले के विशेष संदर्भ में एक प्रशासनिक अध्ययन)

आमजन/ग्रामीणजन की बाधाओं (चुनौतियों) के कथन तथा उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया–

तालिका

बाधाएं	स्त्री				पुरुष				योग
	अशिक्षित	प्रतिशत	शिक्षित	प्रतिशत	अशिक्षित	प्रतिशत	शिक्षित	प्रतिशत	
कम्प्यूटर का अभाव	6	30	13	24	6	24	27	25	52
कार्मिक की अनुपलब्धता	3	15	4	7	3	12	12	11	22
उत्तरदायी व्यक्तियों ने सूचना नहीं दी	2	10	5	9	2	8	9	8	18
कोई बाधा नहीं	2	10	3	5	2	8	7	6	14
सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध नहीं	4	20	9	16	5	20	17	15	35
सरपंच की अरूचि	1	5	4	7	5	20	15	14	25
केवल चक्कर कटवाते हैं (असहयोगात्मक व्यवहार)	2	10	10	18	2	8	17	15	31
अन्य	0	0	7	13	0	0	6	5	13
कुल	20	100	55	100	25	100	110	100	210

आरेख

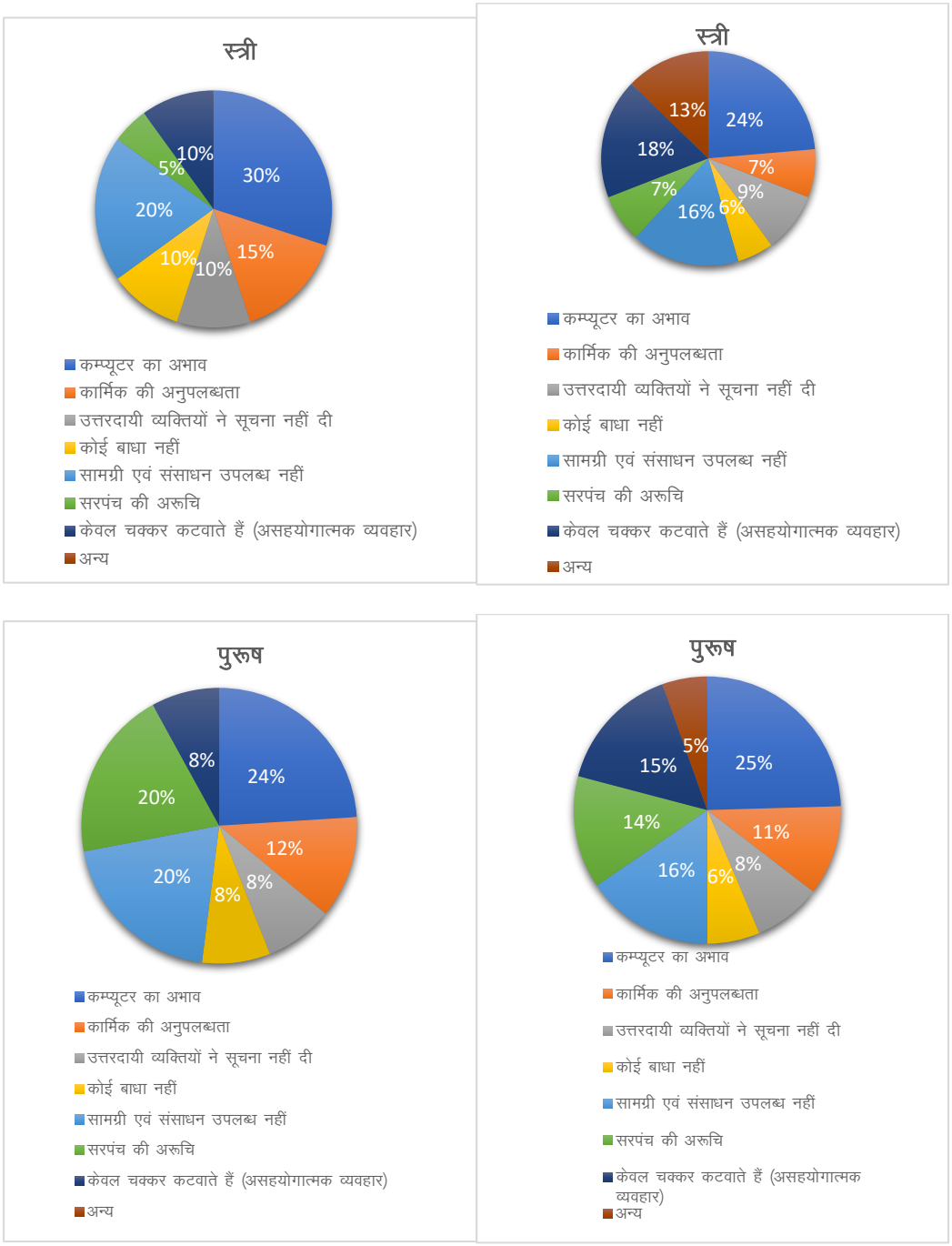

उपर्युक्त तालिका के अनुसार लोगों को ग्राम पंचायत में ई.शासन कार्यक्रमों के संचालन में क्या–क्या बाधाएं आती हैं, के सम्बन्ध में किए गए प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इस प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की बाधाओं एवं कारणों के सम्बन्ध में 210 उत्तरदाताओं से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। जिसके अनुसार 20 अशिक्षित स्त्रियों में से 6 अर्थात् 30 प्रतिशत ने कम्प्यूटर का अभाव, 3 अर्थात् 15 प्रतिशत ने कार्मिक की अनुपलब्धता, 3 अर्थात् 10 प्रतिशत ने उत्तरदायी व्यक्तियों ने सूचना नहीं दी, 2 अर्थात् 10 प्रतिशत ने कोई बाधा नहीं, 4 अर्थात् 20 प्रतिशत ने सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध नहीं, 1 अर्थात् 5 प्रतिशत ने सरपंच की अरूचि, 2 अर्थात् 10 प्रतिशत ने केवल चक्कर कटवाते हैं (असहयोगात्मक व्यवहार)काउत्तर दिया। 55 शिक्षित स्त्रियों में से 13 अर्थात् 24 प्रतिशत ने कम्प्यूटर का अभाव, 4 अर्थात् 7 प्रतिशत ने कार्मिक की अनुपलब्धता, 5 अर्थात् 9 प्रतिशत ने उत्तरदायी

व्यक्तियों ने सूचना नहीं दी, 3 अर्थात् 5 प्रतिशत ने कोई बाधा नहीं, 9 अर्थात् 16 प्रतिशत ने सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध नहीं, 4 अर्थात् 7 प्रतिशत ने सरपंच की अरूचि, 10 अर्थात् 18 प्रतिशत ने केवल चक्कर कटवाते हैं (असहयोगात्मक व्यवहार), 7 अर्थात् 13 प्रतिशत नेअन्य काउत्तर दिया। इसी प्रकार 25 अशिक्षित पुरुषों में से 6 अर्थात् 24 प्रतिशत ने कम्प्यूटर का अभाव, 3 अर्थात् 12 प्रतिशत ने कार्मिक की अनुपलब्धता, 2 अर्थात् 8 प्रतिशत ने उत्तरदायी व्यक्तियों ने सूचना नहीं दी, 2 अर्थात् 8 प्रतिशत ने कोई बाधा नहीं, 5 अर्थात् 20 प्रतिशत ने सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध नहीं, 5 अर्थात् 20 प्रतिशत ने सरपंच की अरूचि, 2 अर्थात् 8 प्रतिशत ने केवल चक्कर कटवाते हैं (असहयोगात्मक व्यवहार) का उत्तर दिया। 110 शिक्षित पुरुषों में से 27 अर्थात् 25 प्रतिशत ने कम्प्यूटर का अभाव, 12 अर्थात् 11 प्रतिशत ने कार्मिक की अनुपलब्धता, 9 अर्थात् 8 प्रतिशत ने उत्तरदायी व्यक्तियों ने सूचना नहीं दी, 7 अर्थात् 6 प्रतिशत ने कोई बाधा नहीं, 17 अर्थात् 15 प्रतिशत ने सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध नहीं, 15 अर्थात् 14 प्रतिशत ने सरपंच की अरूचि, 17 अर्थात् 15 प्रतिशत ने केवल चक्कर कटवाते हैं (असहयोगात्मक व्यवहार), 6 अर्थात् 5 ने अन्य का उत्तर दिया। जिनमें से सर्वाधिक 52 उत्तरदाताओं ने कम्प्यूटर का अभाव की समस्या होना बताया। इस प्रकार उपर्युक्त बाधाओं एवं समस्याओं से स्पष्ट है कि ग्रामीणजनों को कम्प्यूटर का अभाव की समस्या के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तालिका के अनुसार लोगों को ग्राम पंचायत में ई.शासन कार्यक्रमों के संचालन में क्या–क्या बाधाएं आती हैं, के सम्बन्ध में किए गए प्रश्न का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इस प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की बाधाओं एवं कारणों के सम्बन्ध में 210 उत्तरदाताओं से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए। जिनमें से सर्वाधिक 52 उत्तरदाताओं ने कम्प्यूटर का अभाव की समस्या होना बताया। इस प्रकार उपर्युक्त बाधाओं एवं समस्याओं से स्पष्ट है कि ग्रामीणजनों को कम्प्यूटर का अभाव की समस्या के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचायती राज कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर ग्रामीणजनों की तरफ से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

तालिका

क्र.सं.	कार्मिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया	स्त्री कार्मिकों के प्रत्युत्तर	प्रतिशत	पुरुष कार्मिकों के प्रत्युत्तर	प्रतिशत
1.	निरक्षरता से जानकारी का अभाव	4	20	15	38
2.	योजनाओं की जानकारी का अभाव	2	10	8	20
3.	कामकाज में हस्तक्षेप	6	30	10	25
4.	दलगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा	2	10	7	18
5.	ग्रामीण क्षेत्र में चेतना का अभाव	4	20	12	30
6.	धैर्य का अभाव	4	20	8	20
7.	अनुशासनहीनता	4	20	10	25
8.	भाई–भतीजावाद एवं जातिवाद	6	30	15	38
9.	अपमानजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग	6	30	10	25
10.	आर्थिक प्रलोभन	6	30	10	25

11.	परस्पर मनमुटाव	6	30	12	30
12.	कोई समस्या नहीं	2	10	5	13

स्त्रियों की संख्या (N) = 20

पुरुषों की संख्या (N) = 40

आरेख

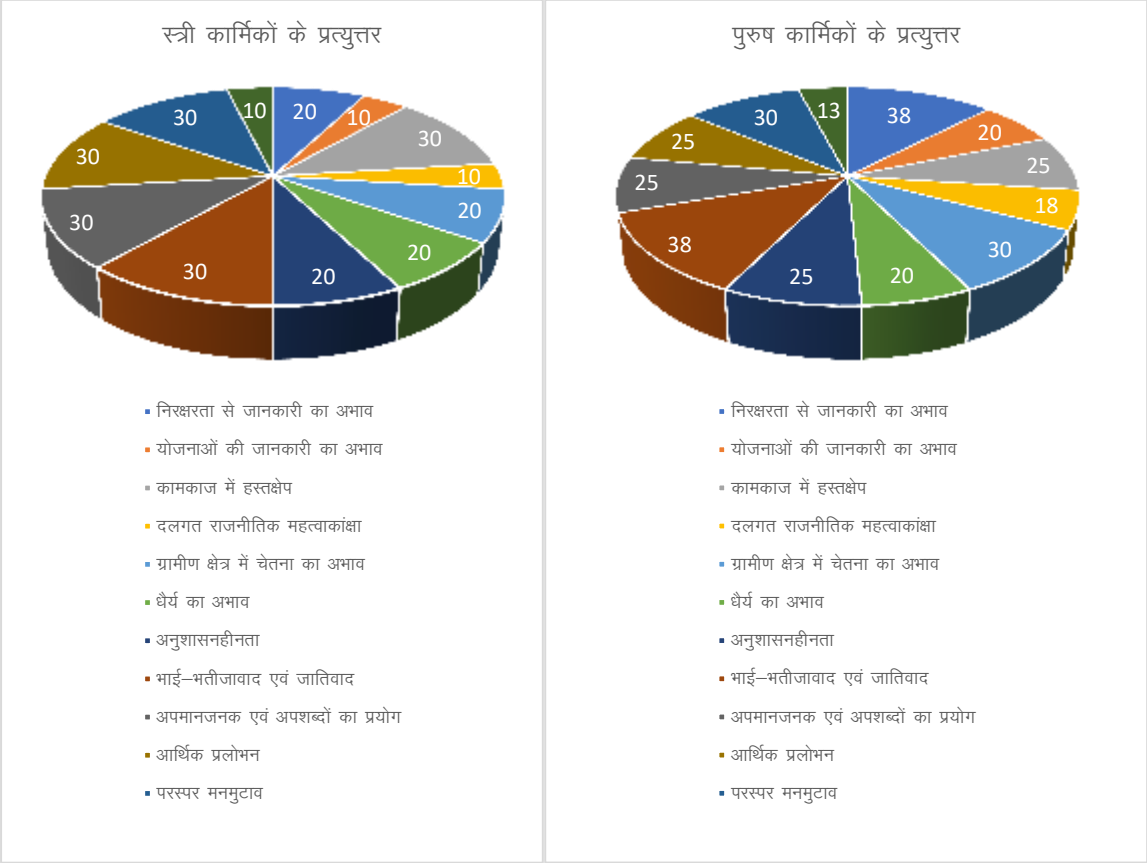

उपर्युक्त प्रश्न में उत्तरदाताओं ने एक से अधिक विकल्प का चयन किया है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर ग्रामीणजनों की तरफ से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, के सम्बन्ध में लिए गए साक्षात्कार प्रश्न में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में 20 स्त्री कार्मिकों तथा 40 पुरुष कार्मिकों ने विभिन्न प्रत्युत्तर दिए। जिनमें से स्त्री कार्मिकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में 20 प्रतिशत निरक्षरता से जानकारी का अभाव, 10 प्रतिशत योजनाओं की जानकारी का अभाव, 30 प्रतिशत कामकाज में हस्तक्षेप, 10 प्रतिशत दलगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा, 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में चेतना का अभाव, 20 प्रतिशत धैर्य का अभाव, 20 प्रतिशत अनुशासनहीनता, 30 प्रतिशत भाई–भतीजावाद एवं जातिवाद, 30 प्रतिशत अपमानजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग, 30 प्रतिशत आर्थिक प्रलोभन, 30 प्रतिशत परस्पर मनमुटाव, 10 प्रतिशत कोई समस्या नहीं के बारे में उत्तर प्राप्त हुए। इसी प्रकार 40 पुरुष कार्मिकों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में 38 प्रतिशत निरक्षरता से जानकारी का अभाव, 20 प्रतिशत योजनाओं की जानकारी का अभाव, 25 प्रतिशत कामकाज में हस्तक्षेप, 18 प्रतिशत दलगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा, 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में चेतना का अभाव, 20 प्रतिशत धैर्य का अभाव, 25 प्रतिशत अनुशासनहीनता, 38 प्रतिशत भाई–भतीजावाद एवं जातिवाद, 25 प्रतिशत अपमानजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग, 25

प्रतिशत आर्थिक प्रलोभन, 30 प्रतिशत परस्पर मनमुटाव, 13 प्रतिशत कोई समस्या नहीं के बारे में उत्तर प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त प्रत्युत्तरों से स्पष्ट है कि कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर ग्रामीणजनों की तरफ से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें स्त्री कार्मिकों को सर्वाधिक कामकाज में हस्तक्षेप, भाई–भतीजावाद, अपमानजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग, आर्थिक प्रलोभन एवं परस्पर मनमुटाव तथा पुरुष कार्मिकों को सर्वाधिक निरक्षरता से जानकारी का अभाव एवं भाई–भतीजावाद एवं जातिवाद आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर ग्रामीणजनों की तरफ से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, के सम्बन्ध में लिए गए साक्षात्कार प्रश्न में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में 20 स्त्री कार्मिकों तथा 40 पुरुष कार्मिकों ने विभिन्न प्रत्युत्तर दिए। जिनमें निरक्षरता से जानकारी का अभाव, योजनाओं की जानकारी का अभाव, कामकाज में हस्तक्षेप, दलगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में चेतना का अभाव, धैर्य का अभाव, अनुशासनहीनता, भाई–भतीजावाद एवं जातिवाद, अपमानजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग, आर्थिक प्रलोभन, परस्पर मनमुटाव आदि के बारे में उत्तर प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त प्रत्युत्तरों से स्पष्ट हुआ कि कार्मिकों को अपने कार्यस्थल पर ग्रामीणजनों की तरफ से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें स्त्री कार्मिकों को सर्वाधिक कामकाज में हस्तक्षेप, भाई–भतीजावाद, अपमानजनक एवं अपशब्दों का प्रयोग, आर्थिक प्रलोभन एवं परस्पर मनमुटाव तथा पुरुष कार्मिकों को सर्वाधिक निरक्षरता से जानकारी का अभाव एवं भाई–भतीजावाद एवं जातिवाद आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ऑनलाईन कार्यों के सम्बन्ध में ग्रामीणजनों के लिए सुझाव –

तालिका

क्र.सं.	कार्मिकों द्वारा दिए गए सुझाव	स्त्री कार्मिकों के प्रत्युत्तर	प्रतिशत	पुरुष कार्मिकों के प्रत्युत्तर	प्रतिशत
1.	तकनीकी ज्ञान पर बल	7	35	8	20
2.	इन्टरनेट की सार्वभौमिक उपलब्धता	4	20	8	20
3.	ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करना	7	35	12	30
4.	योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी के स्तर में अभिवृद्धि	4	20	7	18
5.	विद्युत् की अबाध आपूर्ति	5	25	12	30

स्त्रियों की संख्या (N) = 20

पुरुषों की संख्या (N) = 40

आरेख

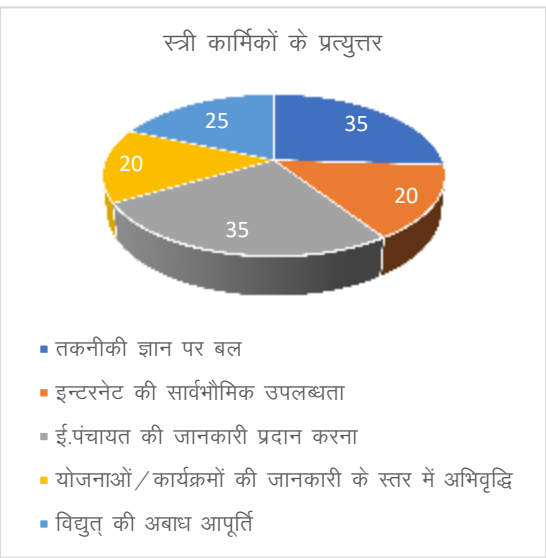

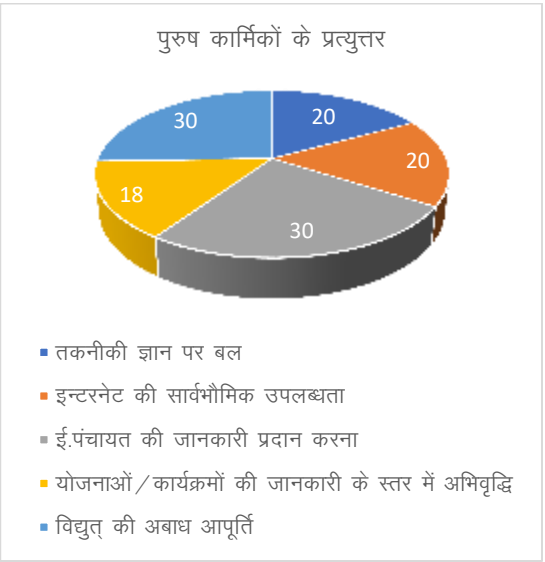

उपर्युक्त प्रश्न में उत्तरदाताओं ने एक से अधिक विकल्प का चयन किया है।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार कार्मिकों से ऑनलाईन कार्यों के सम्बन्ध में ग्रामीणजनों के लिए सुझाव मांगे गए। जिसके सम्बन्ध में कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए। इस सम्बन्ध में 20 स्त्री कार्मिकों तथा 40 पुरुष कार्मिकों ने विभिन्न सुझाव दिए। जिनमें से स्त्री कार्मिकों से प्राप्त सुझावों में 35 प्रतिशत तकनीकी ज्ञान पर बल, 20 प्रतिशत इन्टरनेट की सार्वभौमिक उपलब्धता, 35 प्रतिशत ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करना, 20 प्रतिशत योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी के स्तर में अभिवृद्धि, 25 प्रतिशत विद्युत् की अबाध आपूर्ति के सुझाव प्राप्त हुए। इसी प्रकार पुरुष कार्मिकों से प्राप्त सुझावों में 20 प्रतिशत तकनीकी ज्ञान पर बल, 20 प्रतिशत इन्टरनेट की सार्वभौमिक उपलब्धता, 30 प्रतिशत ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करना, 18 प्रतिशत योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी के स्तर में अभिवृद्धि, 30 प्रतिशत विद्युत् की अबाध आपूर्ति के सुझाव प्राप्त हुए।इस प्रकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्त्री कार्मिकों द्वारा सर्वाधिक तकनीकी ज्ञान पर बल एवं ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करने हेतु सुझाव दिया गया तथा पुरुष कार्मिकों द्वारा सर्वाधिक ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करना एवं विद्युत् की अबाध आपूर्ति का सुझाव दिया गया।

निष्कर्ष

तालिका के अनुसार कार्मिकों से ऑनलाईन कार्यों के सम्बन्ध में ग्रामीणजनों के लिए सुझाव मांगे गए। जिसके सम्बन्ध में कार्मिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए। इस सम्बन्ध में 20 स्त्री कार्मिकों तथा 40 पुरुष कार्मिकों ने विभिन्न सुझाव दिए। जिनमें तकनीकी ज्ञान पर बल, इन्टरनेट की सार्वभौमिक उपलब्धता, ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करना, योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी के स्तर में अभिवृद्धि, विद्युत् की अबाध आपूर्ति के सुझाव प्राप्त हुए। इस प्रकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्त्री कार्मिकों द्वारा सर्वाधिक तकनीकी ज्ञान पर बल एवं ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करने हेतु सुझाव दिया गया तथा पुरुष कार्मिकों द्वारा सर्वाधिक ई.पंचायत की जानकारी प्रदान करना एवं विद्युत् की अबाध आपूर्ति का सुझाव दिया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अनिल यादवराव गायकवाड़ एवं डॉ. प्रकाश हेमराज करमादकर, पंचायत राजः गवर्नेंस बाई लोकल्स इन रूरल इण्डिया ई पी आर ए, अक्टूबर 2015

2. बी. के. गैरोला, एन ई.गवर्नेंस फोर पंचायत्स (सं. समीर कोचर) इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेंस एकेडमिक फाउण्डेशन, 2008

3. सी.एस.आर. प्रभु, ई.गवर्नेंस : कॉन्सेप्ट्स एण्ड केस स्टडीज प्रेंटिस हाल ऑफ इण्डिया प्रा.लि., 2006

4. मणिशंकर अय्यर, स्टेट ऑफ पंचायत्स : द जर्नी दस फार (सं.) समीर कोचर इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड गवर्नेंस एकेडमिक फाउण्डेशन, नई दिल्ली।

5. मोहित भट्टाचार्य, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एण्ड डिवेलपमेंट द इण्डियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साइंस, गुंटुर, सितम्बर, 2001

6. एम.वी. माथुर एण्ड इकबाल नारायण (सं.) पंचायती राज प्लानिंग एण्ड डेमोक्रेसी एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1969

7. नितिन काम्बले, गवर्नेंस, डिवेलपमेंट एण्ड पंचायती राजः सम थ्योरीटिकल इम्प्लीकेशंस शोध प्रबन्ध, जर्नल ऑफ पीपुल्स स्टडीज, अगस्त, 2015

8. पी.के. सूरी एवं सुशील, स्ट्रेटजिक प्लानिंग एण्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई.गवर्नेंस स्प्रिंगर पब्लिकेशंस, 2016

9. रणबीर सिंह एवं सूरत सिंह, लोकल डेमोक्रेसी एण्ड गुड गवर्नेंसः फाइव डिकेड्स ऑफ पंचायती राज दीप एण्ड दीप पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2011

10. एस.एल. गोयल एवं शालिनी रजनीश, पंचायती राज इन इण्डिया : थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस

11. एस.आर. माहेश्वरी, भारत में स्थानीय प्रशासन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2006

12 सुरेन्द्र कटारिया, (सं.) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003

13 सुरेन्द्र कटारिया, पंचायती राज संस्थाएँः अतीत, वर्तमान और भविष्य नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, सितम्बर, 2007

14 पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्तावों का संकलन (जुलाई–दिसम्बर, 2004) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

15 राजस्थान विकास (त्रैमासिक) पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

16 केस स्टडीज इन पंचायती राज इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली 1972

17 रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स एण्ड रूरल गवर्नेंस भारत सरकार

18 विकीपीडिया ई.गवर्नेंस

19. एकीकृत राज ई.पंचायत पोर्टल

20. http://www.bikanerrajasthan.gov.inआधिकारिक वेबसाईट

Corresponding Author

* **अविनाश चन्द्र शर्मा**, *शोधार्थी*

लोक प्रशासन विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राज.

email-avi147.as@gmail.com, Mob.- 9462058197